



विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय, उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन
गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद

दिनांक: 20/10/2022

संख्या: 23VSNO03036814 वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2022-23

NANDINI BUILD HOME CONSORTIUM PVT LTD

PLOT NO 15C/2 SEC-15 VASUNDHARA GHAZIABAD UP

विषय :- विद्युतीय अधिष्ठापनों का निरीक्षण/परीक्षण।

प्रसंग :- आप का आवेदन पत्र संख्या VS22211955 दिनांक 18/10/2022

प्रिय महोदय,

कृपया निम्नांकित विद्युतीय अधिष्ठापन का निरीक्षण/परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19/10/2022 को करने पर उक्त विद्युतीय अधिष्ठापन विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (मेजर्स रिलेटेड टू सेफ्टी एण्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई) रेगुलेशन 2010 के सुसंगत विनियमों का पालन करता हुआ पाया गया। अधिष्ठापन में किसी भी परिवर्तन की दशा में इस कार्यालय को अवगत कराते हुये पुनः निरीक्षण कराया जाये।

क्र० सं०	उपकरण	मेक	क्षमता	वोल्टता	सीरियल नम्बर	मात्रा
1	Transformer	PARAMEX	630 KVA	11000 V	PTL/630/01	1
2	Transformer	PARAMEX	630 KVA	11000 V	PTL/630/02	1
3	Transformer	PARAMEX	500 KVA	11000 V	PTL/500/01	1

विद्युतीय लोड के अधिष्ठापन का विवरण 0 किलोवाट।

भवदीय,

AWADHESH KUMAR SAHANI
उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन,
गाजियाबाद

संख्या: 23VSNO03036814 वि0सु0/मध्यम विभव/एच0टी0/निरीक्षण, 2022-23, तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रति लिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

अधिकांसी अभियन्ता, विद्युतवितरण खण्ड, गाजियाबाद।

सहायक निदेशक, विद्युतसुरक्षा, उ०प्र० शासन गाजियाबाद जोन।

निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।



भवदीय,

AWADHESH KUMAR SAHANI
उपनिदेशक विद्युत सुरक्षा, उ०प्र० शासन,
गाजियाबाद

www.vidyutsuraksha.org से सत्यापित करने के पश्चात ही संयोजन किया जाना सुनिश्चित करें।

नोट :- यह एन ओ सी केवल 3 वर्ष तक मान्य है।

THIS NOC IS GENERATED THROUGH E-SIGNATURE.

कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, 30 प्रशासन, गाजियाबाद रीजन, एफ-6, पटेल नगर-111, गाजियाबाद।

संख्या- 727 वि० सु० नि० (गा० रीजन)/एच० टी०/ड्राइंग अनुमोदन/2020-21 दिनांक-17-9-2022

सेवा में,

M/S. NANDINI BUILD HOME CONSORTIUM PVT, LTD.
PLOT NO-15C/2, SECTOR-15, VASUNDHARA,
DIST.-GHAZIABAD (U.P.)

विषय- 11/0.433 के० वी० 630 के० वी० ए० X02 नं० एवं 500 के० वी० ए० X01 नं० ट्रांसफार्मर सबस्टेशन के विद्युतीय अधिष्ठापन से सम्बन्धित ड्राइंग का अनुमोदन।

प्रसंग-: आपका पत्रांक-शून्य, दिनांक-शून्य।

प्रिय महोदय,

कृपया प्रासंगिक पत्र के साथ आपसे प्राप्त निम्नांकित एच० टी० ड्राइंग का अनुमोदन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कर दिया गया है। उसकी एक प्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

(1) ले-आउट प्लान आफ 11/0.433 के० वी० 630 के० वी० ए० X01 नं० एवं 500 के० वी० ए० X01 नं० ट्रांसफार्मर सबस्टेशन के विद्युतीय अधिष्ठापन से सम्बन्धित ड्राइंग का अनुमोदन।

कृपया आप अपना अधिष्ठापन उपरोक्त अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार अधिष्ठापित करायें एवं सभी शर्तें पूर्ण करने के पश्चात् निरीक्षण हेतु समस्त कागजात विद्युत सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट "WW.vidutsuraksha.org" पर आनलाइन जमा करें तथा उनसे लिखित अनुमोदन प्राप्त होने पर ही अपना अधिष्ठापन जीवन्त करायें।

संलग्नक-01 नं० ड्राइंग

भवदीय
(डा० अवधेश कुमार साहनी)
उप निदेशक
विद्युत सुरक्षा, 30 प्रशासन
गाजियाबाद रीजन, गाजियाबाद।

संख्या- वि० सु० नि० (गा० रीजन)/एच० टी०/ड्राइंग अनुमोदन/2019-20 तद्दिनांक-

उपरोक्त की प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के नियम-63 के अनुसार किसी भी उच्च विभव अधिष्ठापन को इस निदेशालय से लिखित अनुमति प्राप्त होने के बाद ही सजीव किया जा सकता है। अतः उक्त विषयक विद्युत अधिष्ठापन को अधोहस्ताक्षरकर्ता से लिखित अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही सजीव करने का कष्ट करें।

(डा० अवधेश कुमार साहनी)

संख्या- वि० सु० नि० (गा० रीजन)/एच० टी०/ड्राइंग अनुमोदन/2019-20 तद्दिनांक-

उपरोक्त की प्रतिलिपि ~~प्रमुख~~ निदेशक, विद्युत सुरक्षा, 30 प्रशासन, ~~गाजियाबाद जोन, गाजियाबाद~~ को इस आशय से प्रेषित कि विद्युत सुरक्षा अधिकारी (विद्युत निरीक्षक) को निर्देशित करने का कष्ट करें कि आनलाइन आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित समयावधि में यथोशीघ्र प्रकरण का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-01 नं० ड्राइंग

(डा० अवधेश कुमार साहनी)

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/59936/GZB/GHAZIABAD/3916/JD

दिनांक: 29-08-2022

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **NANDINI BUILDHOME CONSORTIUM PVT LTD** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **VASUNDHARA GRAND PLOT NO-15-COMM.-02 SECTOR-15, VASUNDHARA, GHAZIABAD** तहसील - **GHAZIABAD**, प्लॉट एरिया **6465.18 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **28894.77** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **2** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
BLOCK A 2 BASEMENT STILT AND 28 FLOOR	28	2	87.15 mt.
BLOCK B 2 BASEMENT STILT AND 28 FLOOR	28	2	87.15 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **NANDINI BUILDHOME CONSORTIUM PVT LTD** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **30-08-2022** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **BHARAT SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत वैधता तिथि **05-09-2022** से **04-09-2027** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **NANDINI BUILDHOME CONSORTIUM PVT LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **NANDINI BUILDHOME CONSORTIUM PVT LTD** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : In view of the recommendation reports of cfo and fso. The NOC is being issued

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(AMAN SHARMA)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 05-09-2022
स्थान : LUCKNOW

[6F3173ACF1282848601D36130C6B4188B05EE040]

05-09-2022

पत्र संख्या - 2

स्तक संख्या 26139

गाजियाबाद नगर निगम
(नियम 8 देखें)

055
क्रम संख्या

श्री/श्रीमती

नदिनी विमलेश्वर-संग 38 लिटो

157C2 वडुकर, गाजियाबाद

से प्राप्त हुए।

पत्र संख्या

दिनांक :

मांग रजिस्टर की क्रम संख्या	भूगहादि का नाम अथवा संख्या	भुगतान का विवरण	अवधि	धनराशि
R745 1401000042 31/1/11	जमिनदार	अक सयाजन आवदन पत्र शुल्क रबीकर अक सयाजन शुल्क रोड कटिंग चार्ज सुपरवीजन शुल्क Awe		20/- 157000/- 20,000/- 5000/- 10,000/- 1 189020/-
	Payment by R745			

ग शब्दों में

के 1 किलो नक्काशी द्वारा वीर के

तांक :- 28/2/2022

गाजियाबाद नगर निगम

कड़िया :-

अनुज्ञाप्ती (लाईसेंस) की दशा में यह रसीद अनुज्ञाप्ती के स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती।
नगर निगम के अनुज्ञाप्ति अस्वीकार कर देने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। अवैधानि-
वर्ण के गिराये या हटाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रपत्र संख्या - 2
पुस्तक संख्या - 26139

गाजियाबाद नगर निगम
(नियम 8 देखें)

056
क्रम संख्या

श्री/श्रीमती नन्दिनी विनोद क. सो. 50 लि.
157/62 वसुधा, गाजियाबाद से प्राप्त हुए।
दिनांक :

बिल संख्या

मांग रजिस्टर की क्रम संख्या	भूग्राहक का नाम अथवा संख्या	भुगतान का विवरण	अवधि	धनराशि
R795 10000000421 31/1/24	श्री. विनोद	संयोजन आवेदन पत्र शुल्क संयोजन शुल्क रोड कटिंग चार्ज सुपरवीजन शुल्क		20/- 385000/- 5000 18000/- 608020/-
Payment By R795				

योग शब्दों में

दिनांक :- 28/1/2024

रोकड़िया :-

अनुज्ञाप्ती (लाईसेंस) की दशा में यह रसीद अनुज्ञाप्ती के स्थान पर प्रयुक्त नहीं की जा सकती।
नगर निगम के अनुज्ञाप्ति अस्वीकार कर देने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती। अवैधानिर्माण के गिराये या हटाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

गाजियाबाद नगर निगम

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यालय उप निदेशक, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, गाजियाबाद रीजन,

F-6, (प्रथम तल), पटेलनगर-3, गाजियाबाद 201001

संख्या- 666

नि/गाजियाबाद / विनियम-37(VI) / 2020-21

दिनांक- 20-12-2021

विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक

(Certificate of Electrical Safety Directorate)

विषय- "केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम "2010" के विनियम 37(VI) एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2005 के क्लॉज 4.4 (एनेक्जर 4.4) के अन्तर्गत मध्यम विभव विद्युत अधिष्ठापन का प्रारम्भिक निरीक्षण ।

उपभोक्ता का नाम एवं पता- M/S NANDINI BUILDHOME CONSORTIUM PVT.LTD.,
PLOT No.15/C-2, SECTOR-15, VASUNDHARA,
DISTRICT-GHAZIABAD,U.P.

Details of Equipment- 06 No. Lift

Sr.no.	Make	Job No.	Capacity
1.	TKE	2-13-21-256	15 Passengers
2.	TKE	2-13-21-257	15 Passengers
3.	TKE	2-13-21-258	15 Passengers
4.	TKE	2-13-21-259	15 Passengers
5.	TKE	2-13-21-260	15 Passengers
6.	TKE	2-13-21-261	15 Passengers

निरीक्षण शुल्क ₹0-9000.00 जो चालान सं0-LK00009, दिनांक- 20.12.2021 द्वारा राजकीय कोषागार में जमा किया गया।

प्रिय महोदय,

प्रमाणित किया जाता है कि इस निदेशालय के अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उपरोक्त विद्युत अधिष्ठापन का दिनांक-20.12.2021 को निरीक्षण करने पर पाया गया कि विद्युत अधिष्ठापन "केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण(सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी उपाय) विनियम 2010" के सम्बन्धित विनियमों के अन्तर्गत सन्तोषजनक है। अतः उपरोक्त लिफ्ट के विद्युत अधिष्ठापन को इस्तेमाल में लाये जाने में इस कार्यालय को आपत्ति नहीं है। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष के लिये मान्य है।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि-

लिफ्ट के विद्युतीय अधिष्ठापन का वार्षिक अनुबन्ध किसी एजेंसी को लिखित रूप में देकर लिफ्ट के सुरक्षा मानकों को सदैव मेन्टेन करते रहें तथा रिकार्ड्स को अनुरक्षित रखें एवं किसी भी निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

सुरक्षा मानकों के अनुसार लिफ्ट को सदैव मेन्टेन रखें।

सुरक्षा उपायों में यू.पी.एस बैकअप, हूटर, आटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस आदि को हमेशा कार्यक्षम अवस्था में अनुरक्षित करें।

भवदीय

(डा० अवधेश कुमार साहनी)

उपनिदेशक

विद्युत सुरक्षा उपप्र० शासन
गाजियाबाद रीजन गाजियाबाद

विद्युत सुरक्षा निदेशालय (Electrical Safety Directorate)